प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांकः- 28.11.2022

पुलिस अधीक्षक श्री घुले सुशील चंद्रभान द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध को अपनी आय का स्रोत बना लेने वाले अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों के अनुपालन के क्रम में दिनांक 28.11.22 को अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉ0 राजीव दीक्षित के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी बिसवां श्री अभिषेक प्रताप अजेय के नेतृत्व में थाना बिसवां पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 554/22 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बिसवां सीतापुर में वांछित अभियुक्त प्रदीप कुमार पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम गूरेपारा थाना तालगांव सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पूर्व में अवैध शराब कारोबार व मारपीट जैसे अपराध में अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। अभियुक्त प्रदीप उपरोक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। जनपद में अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही निरन्तर इसी प्रकार प्रचलित रहेगी।

- **अभियुक्त का नाम व पताः-**
  - प्रदीप कुमार पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम गूरेपारा थाना तालगांव सीतापुर

- **अभियोग (जिसमें अभियुक्त वांछित था)**
  - मु0अ0स0 554/2022 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बिसवां सीतापुर।

- **आपराधिक इतिहास अभियुक्त प्रदीप उपरोक्तः –**

1. मु0अ0स0 56/18 धारा 147/323/504 भादवि थाना तालगांव सीतापुर।
2. मु0अ0सं0 464/22 धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम थाना बिसवां सीतापुर।
3. मु0अ0स0 554/22 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना बिसवां सीतापुर।

- **<u>पुलिस टीम थाना बिसवां-</u>**
    1. अपराध निरीक्षक श्री विजय कुमार मिश्रा
    2. मुख्य आरक्षी रामप्रताप
    3. मुख्य आरक्षी दीपक वर्मा
    4. मुख्य आरक्षी रामतीरथ